दैनिक
न्याय साक्षी



## महत्वपूर्ण एवं खास

### कक्षा 10 वीं के सामान्य संस्कृत विषय की परीक्षा में 19536 परीक्षार्थी हुए सम्मिलित

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल परीक्षा 2020 अंतर्गत रायगढ़ जिले में आज कक्षा 10 वीं सामान्य संस्कृत विषय की परीक्षा आयोजित हुई। जिसमें 20340 दर्ज परीक्षार्थियों में 19536 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दिलाई। 804 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे।

### छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग -नगरपालिका उप-निर्वाचन 2020

**» निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए कार्यक्रम निर्धारित**

**रायपुर।** छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका उप-निर्वाचन 2020 कराये जाने हेतु 1 जनवरी 2020 के संदर्भ तारीख के आधार पर फोटोयुक्त मतदाता सूचियां तैयार करने के लिए कार्यवाही विवरण और तिथियां निर्धारित कर दी गई है। जारी आदेशानुसार प्रथम चरण में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति 09 मार्च 2020 तक, प्रारंभिक प्रारूप निर्वाचन नामावली तैयार करने हेतु कर्मचारियों का चयन एवं प्रशिक्षण 11 मार्च 2020 तक, भारत निर्वाचन आयोग की 01 जनवरी 2020 की स्थिति में तैयार विधानसभावार अद्यतन निर्वाचन नामावली की दो प्रतियां जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त करना 13 मार्च 2020 तक, विधानसभा की निर्वाचक नामावली वार्डवार पृथक कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराना 16 मार्च तक, प्रचलित परिसीमन के आधार पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्वाचक नामावली को वार्डवार एवं भागवार मार्किंग करना 19 मार्च तक, वार्डवार एवं भागवार चिन्हित निर्वाचकों को सॉफ्टवेयर के माध्यम से दर्शित वार्ड के संबंधित भाग के अनुभाग में शिफ्ट किया जाना 21 मार्च तक, निर्वाचक नामावली की चेकलिस्ट तैयार करना 25 मार्च तक, चेकलिस्ट की जांच कराना, त्रुटि सुधार कराना 27 मार्च तक, चेकलिस्ट संशोधन पश्चात निर्वाचक नामावली मुद्रण हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय को 28 मार्च 2020 तक प्रदान किया जाएगा। द्वितीय चरण में निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक और दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करना 3 अप्रैल 2020 तक, मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को निर्वाचक नामावली उपलब्ध कराना 4 अप्रैल तक, दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तारीख 11 अप्रैल 2020 तक, प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का निपटारे की अंतिम तारीख 18 अप्रैल 2020 तक, दावे एवं आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरूद्ध अपील करने की अंतिम तारीख निराकरण आदेश पारित होने के 05 दिवस के भीतर किया जाएगा। परिवर्धन, संशोधन, विलोपन के प्रकरणों की प्रविष्टि सॉफ्टवेयर में 23 अप्रैल तक, चेकलिस्ट का निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जांच करवाना तथा पी.डी.एफ. मुद्रण हेतु जिला कार्यालय को सौंपना 25 अप्रैल तक और 27 अप्रैल तक अनुपूरक सूची का मुद्रण कराना और अनुपूरक सूची को मूल सूची के साथ संलग्न किया जाएगा। निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 29 अप्रैल 2020 तक किए जाने हेतु निर्धारित की गई है।

### मुख्यमंत्री बघेल की अपील का असर- मुख्यमंत्री से मिलकर व्यवसायी अग्रवाल ने 40 हजार निःशुल्क मास्क वितरण की इच्छा जाहिर की

**रायपुर।** मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से आज यहां उनके निवास कार्यालय में रायपुर नगर के व्यवसायी श्री अशोक अग्रवाल ने सौजन्य मुलाकात की और अपने निजी संस्थान कारटेल-हेल्थ केयर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित डिस्पोजल मास्क का एक पैकेट प्रतीक स्वरूप भेंट किया। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री बघेल की अपील से प्रभावित होकर व्यवसायी श्री अग्रवाल ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए अपने संस्थान द्वारा निर्मित लगभग 40 हजार मास्क निःशुल्क प्रदाय करने की इच्छा जाहिर की। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने मानव सेवा के इस महान कार्य में सहभागी बनने के लिए व्यवसायी श्री अग्रवाल के योगदान की सराहना करते हुए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी।

# कोरोना रोकथाम व बचाव के लिए जनजागरूकता व जनसहयोग जरूरी-कलेक्टर यशवंत कुमार

**» शहर के सामाजिक, धार्मिक समितियों एवं प्रतिनिधियों की ली बैठक » विभिन्न समितियों ने अपने आयोजन स्थगित करने का लिया निर्णय**

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** कोरोना वायरस की रोकथाम व बचाव के संबंध में कलेक्टर यशवंत कुमार ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में शहर के विभिन्न सामाजिक, धार्मिक समितियों तथा प्रतिनिधियों की बैठक ली।

बैठक में पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह भी मौजूद रहे। कलेक्टर यशवंत कुमार ने कोरोना वायरस के संबंध में राज्य शासन द्वारा जारी एडवाईजरी के अनुसार उपस्थित लोगों को जानकारी दी। साथ ही प्रशासनिक स्तर पर की जा रही तैयारियों के बारे में अवगत भी कराया। कलेक्टर यशवंत कुमार ने कहा कि पूरे विश्व के विभिन्न हिस्सों में फैल रहे कोरोना वायरस को लेकर शासन-प्रशासन द्वारा आवश्यक कदम उठाये जा रहे है। स्कूल, कालेज, शैक्षणिक संस्थाओं, माल, सिनेमा घरों को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है।

शासन-प्रशासन के विभिन्न आयोजन व प्रशिक्षण के साथ-साथ साथ ही भीड़-भाड़ वाले अन्य आयोजनों को भी स्थगित किया जा रहा है। इसके साथ ही सभा, रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन को जनहित में 5 अप्रैल 2020 तक के लिए प्रतिबंधित किया गया है। स्वास्थ्य

विभाग द्वारा भी व्यापक तैयारियां की गई है। जिला चिकित्सालय के अंतर्गत मातृ एवं शिशु अस्पताल, अपेक्स हास्पिटल, अशर्फी देवी हास्पिटल, जिंदल हास्पिटल, मेट्रो हास्पिटल में आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है। जिला सर्वेलेंस इकाई का गठन किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि रायगढ़ जिला सीमावर्ती जिला है। जिसके लिए उड़ीसा की ओर से आने वाले यातायात की सतत् मॉनिटरिंग की जा रही है। लोगों से अपील है कि खुद जागरूक बनते हुए अधिक से अधिक लोगों को इसके संबंध में जागरूक करें। किसी भी प्रकार की लक्षण या शंका होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र या चिकित्सक से मिले। जिले के सभी चिकित्सकों को कोरोना के संबंध में आवश्यक ट्रेनिंग दी गई है। मेडिकल कालेज में सेम्पल कलेक्शन की सुविधा उपलब्ध है।

कलेक्टर यशवंत कुमार ने आगे बताया कि रायगढ़ जिले में कोई पाजीटिव केस नहीं है। किन्तु हमें पूरी सावधानी बरतनी होगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एडवाईजरी के अनुसार जीवन शैली अपनाते हुए पर्सनल हायजिन पर विशेष ध्यान देना होगा तथा रोग के संक्रमण तथा फैलाव की संभावनाओं को पूरी तरह खत्म करना होगा। कोरोना वायरस का फैलाव मुख्यतः मानव से मानव में स्पर्श के माध्यम से फैलता है। अतः भीड़ वाले आयोजन न किया जाना रोकथाम के लिए अत्यंत आवश्यक है। जिसमें प्रशासन के साथ समाज के सभी वर्गो व आम जनता का सहयोग अपेक्षित है।

उन्होंने धार्मिक व सामाजिक प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि आगामी नवरात्र पर्व व अन्य धार्मिक उत्सवों में भीड़ भरे आयोजन न किये जाये। मुस्लिम समाज से कहा कि अलग-अलग पाली में नमाज पढने की व्यवस्था की जाए।

### दरवाजा व अलमारी तोड़कर सुने मकान में चोरों का धावा

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** थाना चक्रधरनगर अन्तर्गत ईडब्ल्यूडी - 108 दीनदयाल पुरम कालोनी फेस 2 गुरूद्रोण स्कूल के पीछे रहने वाले रामचंद्र छाबड़ा पिता जयराम दास छाबड़ा उम्र 38 साल द्वारा आज दिनांक 17.03.2020 को थाना चक्रधरनगर में अपने घर में चोरी हो जाने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराया गया है, रिपोर्टकर्ता ने बताया कि अपने छोटे दामाद के केंसर के ईलाज के लिए पूरा परिवार घर में ताला लगाकर पिछले 20 दिनों से रायपुर में थे। दिनांक 15.03.2020 को घर वापस आकर देखने पर पता चला कि कोई चोर घर में घुसकर घर के दरवाजा व अलमारी का ताला तोड़कर एक सोने का चैन, चांदी का बर्तन/चांदी का मूर्ति को चोरी कर ले गया है। चोरी के रिपोर्ट पर थाना चक्रधरनगर में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 85/2020 धारा 457,380 भादवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

## सारंगढ, खरसिया व भूपदेवपुर में पुलिस की जुआ सट्टा पर कार्यवाही

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** सारंगढ थाने के स्टाफ द्वारा दिनांक 16.03.2020 को तुर्की तालाब गार्डन के अंदर विनोद भारती पिता लकेश्वर भारती उम्र 20 वर्ष, दुधनाथ भारती पिता हेमलाल भारती उम्र 32 वर्ष दोनों निवासी ग्राम उलखर थाना सारंगढ को लोगों से रूपये लेकर सट्टा लगाने की सूचना पर रेड कर पकड़े,निके पास से जुमला रकम 6370 रूपये नगद, सट्टा पट्टी , एक पेन जप्त किया गया है। आरोपियों के विरूद्ध थाना सारंगढ़ में धारा 4(क) सार्वजनिक द्युत अधिनियम के तहत कार्यवाही किया गया है।

खरसिया थाने के स्टाफ द्वारा ग्राम ठुसेकेला मोहन अन्ना

के घर पीछे सार्वजनिक स्थान पर जुआड़ियान 1. डमरूधर सारथी पिता अवध राम सारथी उम्र 30 वर्ष, 2. रामनिवास राठौर पिता स्व0 त्रिलोचन राठौर उम्र 58 वर्ष 3. जयराज सिंह राठौर पिता भुनेश्वर राठौर उम्र 61 वर्ष सभी निवासी ग्राम ठुसेकेला थाना खरसिया को 52 पत्ती तास से जुआ खेलते हुए पकड़े जिनके फड़ व पास से नगदी 1450/- रूपये , 52 पत्ती ताश , एक प्लास्टिक बोरी वजह सबूत जप्त किया गया है।

वहीं दूसरी ओर भूपदेवपुर पुलिस द्वारा ग्राम रक्सापाली छुहीडीपा पारा के पास चबूतरा में 1. नरसिंह सारथी पिता सालिकराम उम्र 55 वर्ष 2. निर्मल राठिया पिता टंकेश्वर राठिया वर्ष 27 3. गुलाब राठिया पिता फत्तूराम राठिया उम्र 40 वर्ष 4. शौकीलाल राठिया पिता लक्ष्मण राठिया उम्र 36 वर्ष सभी साकिनान रक्सापाली छुही डीपापारा थाना भूपदेवपुर को जुआ खेलते हुए पकड़े। आरोपियों के पास से जुमला रकम 2000 रूपये, 52 पत्ती तास तथा एक प्लास्टिक बोरी जप्त किया गया है। आरोपियों पर धारा 13 जुआ एक्ट की कार्यवाही की गई है।

### कलेक्ट्रेट परिसर के साफ-सफाई, बगीचा के रख-रखाव, कैण्टीन संचालन एवं वाहन पार्किंग के लिए आमंत्रित निविदा में संशोधन

> अब 27 मार्च तक निविदा आमंत्रित

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** जिला कलेक्टर कार्यालय, रायगढ़ के संयुक्त भवन परिसर एवं सृजन भवन की साफ-सफाई एवं बगीचा के रख-रखाव, परिसर स्थित कैण्टीन कार्य के संचालन एवं कार्यालय परिसर के वाहन पार्किंग हेतु 16 मार्च को निविदा आमंत्रित किया गया था। उक्त निविदा तिथि में आंशिक संशोधन किया गया है। निविदाकर्ता अब 27 मार्च 2020 को अपरान्ह 3 बजे तक निविदा जमा कर सकते है।

## जिले के आहरण अधिकारियों को चेक बुक कोषालयों में जमा करने के निर्देश

**25 मार्च शाम 5 बजे तक चेक बुक होंगे जमा**

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि 25 मार्च 2020 को संध्या 5 बजे तक समस्त चेक बुक कोषालय अधिकारी के पास जमा करेंगे तथा उपयोग किए गए अथवा निरंक चेक का विवरण कोषालय अधिकारी को चेक बुक के साथ देंगे। 26 मार्च से ऐसे अपरिहार्य कारणों में, जिनमें कि कतिपय व्ययों को, जो जनहित या प्रशासन के हित में अनिवार्य है, कलेक्टर के समक्ष पूर्ण प्रकरण व विषयवस्तु औचित्य सहित प्रस्तुत कर भुगतान संबंधी आदेश प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे सभी आदेशों की प्रति संकलित कर वित्त विभाग को अनिवार्यतः उपलब्ध कराए।

26 मार्च से वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक कलेक्टर से स्वीकृति प्राप्त प्रकरणों में चेक काटने हेतु कोषालय अधिकारी संबंधित चेक आहरण एवं संवितरण अधिकारी को चेक बुक उपलब्ध करायेंगे जिस पर संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी के हस्ताक्षर एवं कोषालय अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जाएगा।

## सरिया पुलिस की कच्ची महुआ शराब के संग्रहण पर बड़ी कार्यवाही

**» ओडिशा से लगे ग्राम बड़े नवापारा के खेत में रखा 50 लीटर महुआ शराब जब्त**

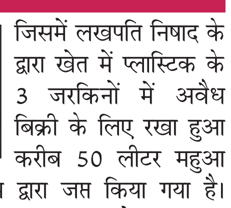

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** थाना प्रभारी सरिया निरीक्षक आशीष वासनिक को दिनांक 17.03.2020 के सुबह उनके सक्रिय मुखबीर से सूचना मिली कि ग्राम बड़े नवापारा में रहने वाले लखपति निषाद के खेत में काफी मात्रा में महुआ शराब संग्रहण कर रखा गया है।

मुखबीर ने यह भी बताया कि लखपति निषाद अवैध रूप से शराब की बिक्री गांव में करता है।सूचना पर थाना प्रभारी निरीक्षक वासनिक के नेतृत्व में स्टाफ द्वारा बड़े नवापारा जाकर शराब रेड की कार्यवाही किया गया जिसमें लखपति निषाद के द्वारा खेत में प्लास्टिक के 3 जरकिनों में अवैध बिक्री के लिए रखा हुआ करीब 50 लीटर महुआ शराब पुलिस टीम द्वारा जप्त किया गया है। आरोपी लखपति निषाद पिता कुसो निषाद उम्र 42 साल निवासी बड़े नवापारा थाना सरिया के विरुद्ध थाना सरिया में अपराध क्रमांक 14/2020 धारा 34(2),59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर आरोपी को रिमांड पर भेजा गया है।

**» पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सहायक संचालक बने कमल सिदार**
**» तेजस एकेडमी कोचिंग से 2018-19 में 52 छात्र-छात्राएं हुए विभिन्न पदों पर चयनित**

## निःशुल्क कोचिंग संस्थान तेजस एकेडमी से अपना भविष्य गढ़ रहे हैं युवक-युवतियां

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** जिला प्रशासन द्वारा संचालित निःशुल्क कोचिंग संस्थान तेजस एकेडमी से जिले के युवक-युवतियां अध्यापन प्राप्त कर अपना भविष्य गढ़ते हुए अपने परिवार सहित जिले का नाम रोशन कर रहे है।

इसी कड़ी में तेजस एकेडमी के छात्र कमल सिदार जिनका चयन पीएससी 2018 में सहायक संचालक पंचायत एवं ग्रामीण

विकास विभाग के पद पर हुआ है। कमल के पालक कृषि एवं मजदूरी कार्य कर जीवन यापन कर रहे है। तीन भाईयों में सबसे छोटा कमल अपने परिवार में शासकीय नौकरी में जाने वाला पहला सदस्य है। उसकी प्रारंभिक प्राथमिक शिक्षा सहसपाली बरमकेला रायगढ़ से हुयी है। उसके पश्चात बीकाम तक शिक्षा लेने के बाद आवास मित्र के रूप में एक वर्ष रायगढ़ में कार्य किया। यहां उन्हें तेजस एकेडमी के माध्यम से निःशुल्क कोचिंग योजना की जानकारी मिली।

जिससे पीएससी की तैयारी कर शासकीय सेवा में जाने का प्रयास प्रारंभ किया। कमल सिदार बताते है कि तेजस एकेडमी के माध्यम से उन्हें अपनी तैयारी की नींव मजबूत करने में सहायता मिली और प्रथम प्रयास में ही पीएससी में 455 वीं रैंक लाकर सहायक संचालक जैसे राजपत्रित अधिकारी के पद पर चयनित होने का मौका मिला। वे कहते है कि तेजस एकेडमी गरीब एवं निम्न आय वर्ग के छात्रों के लिए कारगर सिद्ध हुई है।

### डायल 112 महत्वपूर्ण इवेंट जहर सेवन पर रायनो को मेडिकल इमरजेंसी का इवेंट

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** ग्राम परसदा में दिनांक 16.03.2020 के रात्रि 21:25 बजे दरस सिंह पिता प्रेमलाल लाठिया उम्र 25 साल निवासी परसदा द्वारा अज्ञात कारणों से कीटनाशक का सेवन कर लिए जाने पर परिजनों द्वारा डायल 112 को मेडिकल इमरजेंसी का इवेंट दिया गया मेडिकल इमरजेंसी के इवेंट पर मौके पर पहुंचे भूपदेवपुर राइनो में कार्यरत आरक्षक त्रिभुवन सिदार तथा वाहन चालक दिनेश सारथी मौके पर पहुंचे, जिनके द्वारा आहत दरस सिंह को इलाज के लिए ईआरव्ही वाहन से के.जी.एच. अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया गया है।

वहीं दूसरी घटना बार बाबापारा में दिनांक 17.03.2020 के दोपहर करीब 13:00 बजे रहने वाली रजनी निषाद पति डमरू धर निषाद उम्र 34 साल द्वारा जहर सेवन करने पर डायल 112 को मेडिकल इमरजेंसी का इवेंट मिला था। इवेंट पर सरिया रायनो में कार्यरत आरक्षक सुरेंद्र भगत एवं वाहन के चालक कीर्तन डनसेना, बार बाबापारा जाकर अहिता रजनी निषाद को ईआरवी वाहन में बिठाकर सीएचसी बरमकेला लाकर भर्ती कराए हैं।

### एक जनवरी 2020 के बाद विदेश से आए व्यक्तियों की पहचान और चिकित्सा परीक्षण कराने जिला कलेक्टरों को निर्देश

**राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को जारी किए विस्तृत दिशा-निर्देश**

**रायपुर।** राज्य शासन द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को पत्र भेज कर कोरोना वायरस से बचाव के संदर्भ में चिन्हांकित देशों से भारत आए लोगों की पहचान करने और उनके चिकित्सा परीक्षण के निर्देश जारी किए गए हैं। भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को इस संबंध में पत्र भेजा गया है।

छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने कलेक्टरों को भेजे पत्र में कहा है कि भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार प्रदेश में चिन्हांकित देशों से 1 जनवरी 2020 से विदेश गए एवं आए व्यक्तियों की पहचान कर उनके एवं उनके परिवारों का चिकित्सा परीक्षण चिकित्सा विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार कराना सुनिश्चित करें।

भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश भेजे गए हैं। इसके साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना से प्रभावित देशों (जहां कोरोना के कन्फर्म केस मिले है) की सूची भी भेजी गई है। कोरोना वायरस से प्रभावित देशों की सूची में वेस्टर्न पेसेफिक क्षेत्र के देश चाईना, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, वियतनाम, सिंगापुर, आस्ट्रेलिया, मलेशिया, कम्बोडिया, फिलिपिंस, साउथ ईस्ट एशिया के देश थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका, इंडिया, अमेरिकी क्षेत्र के देश यूनाइडेट स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा, यूरोपिय क्षेत्र के देश फ्रांस, फिनलैंड, जर्मनी, इटली, रशियन फेडरेशन, स्पेन, स्वीडन, यूनाईटेड किंग्डम, ईस्टर्न मेडिटेरियन क्षेत्र के यूनाईटेड अरब एमिरेटस शामिल हैं। कलेक्टरों को भेजे गए पत्र के साथ केन्द्र से प्राप्त यह पत्र और कोरोना से प्रभावित देशों की सूची भी संलग्न की गई है। पत्र में कहा गया है कि ऐसे व्यक्तियों की पहचान करने के लिए स्थानीय व्यक्तियों एवं अशासकीय संस्थाओं का सहयोग लिया जाए तथा यह प्रचार-प्रसार किया जाए कि ऐसे व्यक्ति जो विदेश से आए हैं। वे स्वयं आकर जानकारी दे एवं चिकित्सा परीक्षण कराएं।

### कोषालयों एवं उपकोषालयों में वित्तीय वर्ष 2019-20 के देयक 25 मार्च तक स्वीकार

**न्याय साक्षी/रायगढ़। राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के देयकों को पारित करने के संबंध में निर्णय लिया गया है।**

जिसके तहत समस्त देयक कोषालय एवं उपकोषालयों में प्राप्त होने की अंतिम तिथि 25 मार्च 2020 निर्धारित की गई है। अंतिम तिथि के पश्चात वित्त विभाग की अनुमति से 30 मार्च 2020 तक ही देयक (नवीन एवं कोषालय द्वारा आपत्ति सहित वापस किए गए देयक)कोषालय एवं उपकोषालय में जमा किए जा सकेंगे।

25 मार्च 2020 तक कोषालय द्वारा स्वीकार किए गए देयकों पर ली गई आपत्तियों के नियमानुसार निराकरण कर प्रस्तुत किए जाने वाले देयकों पर भी यह प्रतिबंध लागू होगा। वित्त विभाग द्वारा 25 मार्च 2020 के पश्चात यदि कोई सहमति एवं स्वीकृति जारी की गई है तो उन प्रकरणों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

भारत सरकार से प्राप्त राशि (शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता अथवा केवल केन्द्रांश की राशि)से संबंधित देयकों एवं विधायकों के स्वत्वों से संबंधित देयकों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। 26 से 31 मार्च 2020 तक कोषालयों एवं उपकोषालयों द्वारा जारी किए गए धनादेशों की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार 31 मार्च 2020 को संध्या 5.30 बजे तक अनिवार्यतः वित्त विभाग को फैक्स द्वारा उपलब्ध कराना होगा।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO Ñ- CHH-